E-mail/Speed post/By hand

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड

31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001

E-mail- directorudd@gmail.com, दूरभाष–0135–2749541, फैक्स–0135–2749542

संख्या 4652/श0वि0नि0–19–20–92(विविध–आ0सो0)/12 दिनांकः 05-01-2022 ~~जून, 2019~~

विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या–673, दिनांक 07–06–2019 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं पारित आदेशों तथा पत्र संख्या–185, दिनांक 03–03–2021 द्वारा माह फरवरी, 2020 तक प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में शहरी विकास निदेशालय में सलाहकार (कन्सलटैन्ट) अवस्थापना के सृजित आउटसोर्स के 01 पद पर बाह्य स्रोत से तैनाती के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–111, दिनांक 27–04–2018 के प्रतिबन्धों के अधीन माह फरवरी, 2022 तक की अवधि के लिए अनुबन्ध के आधार पर के सलाहकार (कन्सलटैन्ट) अवस्थापना के 01 पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शासन से उक्त पद पर तैनाती हेतु आगामी 11 माह की स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धी अभ्यर्थी को तद्नुसार पुनः अनुबन्ध के आधार पर रखा जा सकेगा।

2– इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप, पदों का निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव तथा सेवा शर्ते का विवरण विभागीय वेबसाईड–www.udd.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र ई–मेल– directorudd@gmail.com पर या लिफाफे के शीर्ष पर आवेदन किये जाने पद को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए शहरी विकास निदेशालय, 31/62, राजपुर रोड, निकट पाईन हॉल स्कूल, देहरादून, उत्तराखण्ड–248001 पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ललित मोहन रयाल)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को व्यापक प्रचार–प्रसार वाले 01 हिन्दी समाचार पत्र एवं 01 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में कम से कम स्पेश में डी0ए0वी0पी0 की दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3– श्री चन्द्रप्रकाश रावत, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ को इस निर्देश सहित कि उक्त सूचना एवं पदों की शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं सेवा शर्तो का विवरण संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित कि आवेदन प्रारूप तैयार कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

4– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5– गार्ड फाईल।

05.01.22

(ललित मोहन रयाल)
निदेशक।

Scanned with CamScanner

E-mail/Speed post/By hand

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001
E-mail- directorudd@gmail.com, दूरभाष–0135–2749541, फैक्स–0135–2749542

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सलाहकार कन्सलटैन्ट के पद हेतु शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव का विवरण

क्र0 सं0	पदनाम/संख्या	शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव	अधिकतम प्रतिमाह मानदेय (रूपये में)
1–	सलाहकार (कन्सलटैन्ट) अवस्थापना–01 पद	(1) BE/B. Tech in Civil Engineering with 05 Years of post qualification working experience Or M. Tech Civil with 02 Years of Post qualification working experience Preference would be given to candidates having additional qualification of Diploma in Project Management/MBA (2) Candidate should possess work experience in preparation of projects related to Water Supply, Sewerage Septage Treatment Management for smaller towns, Building Projects, Multi Storey Parking, Storm Water Drains etc. (3) Special exposure to PPP Projects.	70,000/–

तैनाती की शर्ते/प्रतिबन्ध

1– उपरोक्त सलाहकार (कन्सलटैन्ट) की नियुक्ति पूर्णतः आउटसोर्सिंग के आधार पर माह फरवरी, 2022 तक रखा जायेगा। शासन से उक्त पद पर तैनाती हेतु आगामी 11 माह की स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धी अभ्यर्थी को तद्नुसार पुनः अनुबन्ध के आधार पर आगामी 11 माह हेतु रखा जा सकेगा।

2– चूंकि उक्त पद आउटसोर्स के स्वीकृत है। अतः उक्त पदों पर तैनाती के उपरान्त नियमित नियुक्ति का कोई दावा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।

3– इच्छुक/अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रथम तैनाती के समय मानदेय रू0 60,000/– देय होगा तथा अनुबन्ध की आगामी वृद्धि के समय उनके प्रासंगिक अनुभव के आधार पर मानदेय में वृद्धि की जा सकती है।

4– आवेदन पत्र पूर्ण से भरा जाएगा तथा आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई हो, संलग्न किये जायेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा बिना शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों के प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

5– शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को केवल–ई–मेल/मोबाईल के माध्यम से साक्षात्कार की तिथि और स्थान के बारे में सूचित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के पास बिना किसी पूर्व सूचना के आवेदन/भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित होगा।

05.01.22

(ललित मोहन रयाल)
निदेशक।

Scanned with CamScanner